

## दिल्ली विधान सभा सचिवालय

### समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

वीरवार 10 मार्च, 2005/फाल्गुन 19, 1926(शक)

संख्या : 82

### सदस्यों की गिरफ्तारी व रिहाई

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधान सभा, दिल्ली के नाम, उपायुक्त पुलिस, जिला नई दिल्ली, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

“मुझे सम्मानपूर्वक आपको यह सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, डॉ. हर्ष वर्द्धन, श्री रमेश बिधूड़ी, श्री मोती लाल सोढ़ी और श्री पूरन चंद योगी को उनके समर्थकों सहित, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के तहत पुलिस के विधिपूर्ण निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ली-मेरिडियन होटल, जनपथ, नई दिल्ली के सामने बैरिकेड पर दिनांक 2.3.2005 को 5.45 बजे (अपराह्न) गिरफ्तार किया गया।”

उन्हें उनके समर्थकों के साथ, स्थल अर्थात् ली-मेरिडियन होटल, जनपथ, नई दिल्ली के सामने से उसी दिन अर्थात् 2.3.2005 को 5.55 बजे (अपराह्न) रिहा कर दिया गया ।

सिद्धार्थ राव

सचिव

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**  
**BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative and other matters)  
**Thursday 10<sup>th</sup> March, 2005/19, Phalguna 1926 (Saka)**

**No. 82**

**DETENTION AND RELEASE OF MEMBER**

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi

"I have the honour to inform you that Dr. Harsh Vardhan, Shri Ramesh Bidhuri, Shri Mótí Lal Sodhi and Shri Puran Chand Yogi, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their supporters were detained u/s 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police at barricade opposite Le Meridian hotel, Janpath, New Delhi at 5.45 P.M. on 2.3.2005.

They alongwith their supporters were released at 5.55 P.M. from the spot i.e. opposite Le Meridian Hotel, Janpath, New Delhi, on the same day i.e. 2.3.2005, "

**SIDDHARATH RAO**  
**SECRETARY**

125